No. 2(42)/97-DPE (WC)- GL- XX/14
Government of India
Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises
Department of Public Enterprises

.....

Public Enterprises Bhawan,
Block 14, CGO Complex, Lodi Road,
New Delhi-110003, the 9th October, 2014

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Payment of DA to the CDA pattern employees of 69 CPSEs governed by HPPC recommendations.

The undersigned is directed to refer to Para No. 2 and Annexure-III to this Department's O.M. dated 24.10.1997 wherein the rates of DA payable to the employees of CPSEs following CDA pattern pay scales, who are governed by HPPC recommendations had been indicated.

2. In continuation of this Department's OM of even number dated 29.04.2014, the rates of Dearness Allowance w.e.f. 01.07.2014 payable to the employees of CPSEs governed by the recommendations of HPPC, which have not revised their pay scales in terms of DPE O.M. No. 2(54)/2008-DPE(WC) dated 14.10.2008 may be as follows:-

a) In case of CPSEs who have not allowed the benefit of merger of 50% of DA with basic pay as contained in DPE O.M. dated 24.05.2005 to their employees, the DA payable may be enhanced from existing rate of **250% to 262%.**

b) In case of CPSEs who have allowed the benefit of merger of 50% of DA with basic pay as contained in DPE O.M. dated 24.05.2005 to their employees, the DA payable may be enhanced from existing rate of **200% to 212%.**

3. The payment of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded off to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

4.. All administrative Ministries/Department of Government of India are requested to bring the foregoing to the notice of the Central Public Sector Enterprises under their administrative control for action at their end.

Shaque

(Samsul Haque)
Under Secretary

To

All administrative Ministries/Departments of the Government of India.

Copy to:

1. The Chief Executives of Central Public Sector Enterprises.
2. The Comptroller & Auditor General of India, 9 Dean Dayal Upadhayay Marg, New Delhi.
3. Financial Advisers in the Administrative Ministries.
4. Department of Expenditure, E-II Branch, North Block, New Delhi.
5. NIC, DPE.

Shaque

(Samsul Haque)
Under Secretary

संख्या 2(42)/1997-लोउवि(मजूरी कक्ष)-जी.एल.-XX/2014

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
****

लोक उद्योग भवन,
ब्लॉक नं. 14, सी. जी. ओ. काम्प्लैक्स,
लोधी रोड़, नई दिल्ली – 110 003
दिनांक : 09 अक्तूबर, 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति की अनुशंसाओं द्वारा शासित 69 केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान।

****

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के दिनांक 24 अक्तूबर, 1997 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 तथा अनुबन्ध-III का उल्लेख करने का निदेश हुआ है, जिसमें केन्द्रीय महंगाई भत्ता पैटर्न का अनुसरण करने वाले कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरें जो उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति द्वारा शासित होती है, का उल्लेख किया गया था।

2. इस विभाग के दिनांक 29.04.2014 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के क्रम में उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति की अनुशंसाओं द्वारा शासित सरकारी उद्यमों, जिन्होने लोक उद्यम विभाग के दिनांक 14.10.2008 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(54)/2008-लोउवि (मजूरी कक्ष) के सन्दर्भ में अपने वेतनमानों में संशोधन नहीं किया है, के कर्मचारियों को 01.07.2014 से देय महंगाई भत्ते की दरें निम्न प्रकार होंगी :-

(क) सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों ने अपने कर्मचारियों को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 24.05.2005 के कार्यालय ज्ञापन में किए गए उल्लेख के अनुसार मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते के विलय का लाभ की अनुमति नहीं दी है, उनमें देय मंहगाई भत्ते की दर वर्तमान **250% से बढ़कर 262%** हो जाएगी।

(ख) सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों ने अपने कर्मचारियों को लोक उद्यम विभाग के दिनांक 24.05.2005 के कार्यालय ज्ञापन में किए गए उल्लेख के अनुसार मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते के विलय का लाभ की अनुमति दी है, उनमें देय मंहगाई भत्ते की दर वर्तमान **200% से बढ़कर 212%** जाएगी।

3. महंगाई भत्ते के कारण किए जाने वाले भुगतान में शामिल 50 पैसे या इससे अधिक भाग को अगला उच्चतर रुपया मान लिया जाए और 50 पैसे से कम भाग को छोड़ दिया जाए।

4. भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से उपर्युक्त को अपने प्रशासनिक नियंत्राणाधीन सरकारी उद्यमों के ध्यान में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए ला देने का अनुरोध किया जाता है।

(समसुल हक)
अवर सचिव

सेवा में,

भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग।

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालक।
2. भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, (वाणिज्यिक लेखापरीक्षा विंग), 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली।
3. प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के वित्तीय सलाहकार।
4. व्यय विभाग, स्था.-II शाखा, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लोक उद्यम विभाग को इस कार्यालय ज्ञापन को डीपीई की वेबसाइट पर डालने हेतु।

(समसुल हक)
अवर सचिव